

वादग्रस्त आराजी में सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में ही निहित होना साबित होता है।

3. अपूरणीय क्षति:- प्रथम दोनों बिंदू सायलान के पक्ष साबित हुए हैं। हस्तगत प्रकरण में सायलान व गैरसायलान अभिलिखित खातेदार है। गैरसायलान सायलान की मौके व कब्जा काशत की भूमि पर दखलअंदाजी करते आ रहे हैं। यदि गैरसायलान अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सायलान को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। इस प्रकार यदि सायलान के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो सायलान को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक गैरसायलान को सायला के हक-हिस्से की वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने एवं सायलान के हक हिस्से की कब्जा काशत की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते हैं।

--: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र सायलान अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होंगे एवं सारवान होंगे से स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद सरहद मौजा घोडावड पटवार हल्का घोडावड में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 276 रकबा 1.4650 हेक्टेयर किस्म बाराणी अब्बल की भूमि का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करें व मौके पर कच्चा पक्का निर्माण नहीं करने एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखने रखें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर जमा हो।



सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज 0)

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज 0)